ालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

पत्र संख्या : 86 /2022

ण	अप्रार्थीगण
चन्द्रा देवी बनाम	पुखराज वगैरा

मुकदमा–राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाया उपस्थित। अप्रार्थी सख्या 01 की ओर से अधिवक्ता सुरज दाधीच उपस्थित शेष अप्रार्थी के नोटिस तमील प्राप्त प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर स्थगन आदेश हेतु निवेदन किया गया। जिसमे प्रार्थी व अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी सख्या 01 को स्थगन हेतु कोई ऐतराज नही। उक्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होने से प्रार्थीनी के हक हिस्से तक अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित समझते हैं कि वह ग्राम भाकरासनी तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा संख्या 193 रकबा 1.7806 हैक्टर कृषि भूमि पर प्रार्थीनी के हक हिस्से तक राजस्व रेकर्ड एव मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली वास्ते आग्रीम कार्यवाही हेतु दिनाक 28.09.2022 को पेश हों। सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, लूणी	–

Compli Order

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। दौरे पर है। दीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 12/12 को पेश हो।

28/9

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर / दौर पर है। दीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 06/02/2023 को पेश हो।

12/12

12. पत्रावली आज शनिवार सुनवाई प्रार्थना पत्र पेश हुई प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच आपसी रागीनामा हो चुका है अतः अब मे मात्र प्रार्थी की प्रार्थना पत्र का आगे नही चलाना चाहते है प्रार्थी प्रार्थना पत्र की विड्रॉ अनावश्यक खारिज करने का निवेदन किया है अतः प्रार्थी प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र विड्रॉ खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(RTI चस्पा नहीं)

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, लूणी